न्यूज़ टुडे

दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 717.9 बिलियन डॉलर हो गया

वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट (दिसंबर 2024) के अनुसार, दिसंबर 2023 की तुलना में **विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि** हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से **मूल्यांकन प्रभाव** जिम्मेदार है।

- **मूल्यांकन प्रभाव** तब होता है, जब **अमेरिकी डॉलर** के मुकाबले **भारतीय रुपये** की कीमत **घटती** है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात:** यह सितंबर, 2024 के **19.0%** से बढ़कर दिसंबर, 2024 में **19.1%** हो गया है।
- **संरचना:** इसमें **सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य-वर्गित (Denominated) ऋण** की है।
- **डेब्ट सर्विस (मूलधन तथा ब्याज का भुगतान):** इसमें **0.1% की गिरावट** (सितंबर-दिसंबर, 2024) आई है।
- **दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण:** दीर्घकालीन ऋण में **मामूली वृद्धि** और अल्पकालीन ऋण में **मामूली गिरावट** देखी गई है।

विदेशी ऋण के बारे में

- **अर्थ:** यह वह धन है, जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है (जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी)।
  - यह आमतौर पर **अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार (SDR)** आदि के रूप में लिया जाता है।
- **स्रोत:** इसमें **विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** (जैसे IMF, विश्व बैंक आदि) **या कोई अन्य देश** हो सकते हैं।

विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें:

मुद्रा लेन-देन का विविधीकरण:
- अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना, और **दीर्घकालिक व रुपये मूल्य-वर्गीकृत ऋण** को बढ़ावा देना चाहिए।

संधारणीय ऋण पद्धति:
- ऋण को **खपत की बजाय निवेश** के लिए निर्धारित करना चाहिए।

ऋण और आर्थिक संवृद्धि के बीच संतुलन:
- मजबूत **राजकोषीय नीतियों, निर्यात-आधारित विकास** आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां

- **ऋण चुकाने का बोझ:** यह आमतौर पर **अन्य मुद्राओं** में लिया जाता है। इसलिए, विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति:** दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे आर्थिक संवृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर **स्टैगफ्लेशन** का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेब्ट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है।

स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया

"**फार्म 2**" नामक यह मिशन स्पेसएक्स के **ड्रैगन अंतरिक्ष यान** द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कई प्रयोग किए जाएंगे जैसे- **अंतरिक्ष में X-ray लेना और माइक्रोग्रैविटी में मशरूम उगाने** का प्रयोग करना।

पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में:

- ध्रुवीय कक्षा वह होती है, जब कोई उपग्रह या **अंतरिक्ष यान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा** करता है।
  - **उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 10 डिग्री** तक का विचलन भी **ध्रुवीय कक्षा** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **ऊंचाई:** ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर **200 से 1000 किमी की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न भू-कक्षाएं** होती हैं।
- **महत्त्व:** पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला **अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण** कर सकता है।
  - ध्रुवीय कक्षा का उपयोग विशेष रूप से **मौसम, मानचित्रण और जासूसी उपग्रहों** के लिए उपयोगी होता है।

उपग्रह कक्षा	ऊंचाई	आवेदन	विवरण	उदाहरण
निम्न भू-कक्षा (LEO)	2000 किमी की ऊंचाई तक	सेटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन, भू-प्रेक्षण, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान	अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) इसी कक्षा में परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी से कम ऊंचाई होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहां पहुंचना आसान होता है।	रिसैट-2B
सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (SSO)	यह पृथ्वी से 600 से 800 किमी तक की ऊंचाई के बीच होती है	यह भूमि-उपयोग परिवर्तन, बर्फ पिघलने और मौसम के अध्ययन के लिए आदर्श होती है।	यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है, जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक होते हैं।	भू-प्रेक्षण के लिए HysIS
मध्यम भू-कक्षा (MEO)	यह पृथ्वी से 2,000 से 36,000 किमी तक की ऊंचाई के बीच होती है।	यह नेविगेशन उपग्रहों और टेलीफोन संचार के लिए आदर्श होती है।	MEO में मौजूद उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट पथ की आवश्यकता नहीं होती है।	यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली
भूस्थिर कक्षा (GEO)	35,786 किमी	दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS, आदि।	यह कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, और उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करते हैं।	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट/ INSAT)

- **समस्या:** ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए **अधिक ईंधन की आवश्यकता** होती है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ नहीं उठा सकता है।

भारत के रक्षा निर्यात ने 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया

- रक्षा निर्यात में 2023-24 की तुलना में **2024-25 में 12.04% की वृद्धि** दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय रक्षा उत्पादों को **अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से स्वीकार** किया जा रहा है। साथ ही, इन उत्पादों में **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की भी क्षमता** है।

बढ़ते रक्षा निर्यात का महत्त्व

- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा:** भारत के रक्षा उत्पादन में **2014-15 से 2023-24 के बीच 174% की वृद्धि** दर्ज हुई है। इससे **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** मिला है।
- **नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति:** भारत ने **2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा निर्यात** का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति:** रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में रिकॉर्ड **193 अनुबंधों** पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से **92 प्रतिशत यानी 177 अनुबंध** भारत की कंपनियों को दिए गए हैं।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि:** 2024-25 में रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्रक ने 15,233 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- **रक्षा निर्यात में विविधता:** बुलेटप्रूफ जैकेट, डॉर्नियर (Do-228) विमान, चेतक हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा उत्पादों के निर्यात से धीरे-धीरे आयात पर निर्भरता कम हो रही है।

रक्षा निर्यात से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां

- **रक्षा क्षेत्रक से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) की धीमी वृद्धि:** 2024-25 में DPSUs के निर्यात में **42.85% की वृद्धि** दर्ज की गई है, लेकिन उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्रक की तुलना में काफी कम रही।
- **तकनीकी विशेषता की कमी:** भारत में प्रमुख रक्षा प्रणालियों, रक्षा उत्पादों के महत्वपूर्ण भागों व घटकों और कच्चे माल के डिजाइन या निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता की कमी है। इस वजह से इनका आयात करना पड़ता है।
- **नीतियों की घोषणा और उनके कार्यान्वयन में व्यापक अंतर:** नौकरशाही से संबंधित बाधाओं के कारण नीतियों को लागू करने में देरी होती है।

भारत से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें

स्वदेशी उत्पादन: मेक इन इंडिया; रक्षा क्षेत्रक में DPSUs, MSMEs जैसी रक्षा औद्योगिक कंपनियों की मौजूदगी; **रक्षा उत्पाद परीक्षण अवसंरचना योजना** (DTIS), आदि।

नवाचार और अनुसंधान: स्वदेशी उत्पादन में नवाचार के लिए **'एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद iDEX (ADITI)', मेक (I, II, III) परियोजनाओं** के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन (SRIJAN); रक्षा औद्योगिक गलियारे, आदि।

नीतिगत सुधार: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) **नीति को उदार** बनाया गया (स्वचालित मार्ग से 74% FDI की अनुमति), **व्यवसाय करना आसान बनाना** (रक्षा उत्पादों के भागों और घटकों के लिए एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन की वैधता का विस्तार किया गया) आदि।

विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की

भारतीय प्रवासियों से तात्पर्य **भारतीय मूल के उन लोगों से है, जो या तो कई पीढ़ियों पहले या हाल ही में अन्य देशों द्वारा जारी दीर्घकालिक वीज़ा पर उन देशों में प्रवास कर गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं।**

- इनमें **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCIs) /भारतीय मूल के व्यक्ति (POIs) और अनिवासी भारतीय (NRI)** शामिल हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** जनवरी 2024 तक, **भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 35.42 मिलियन** थी। इनमें **15.85 मिलियन NRIs और 19.57 मिलियन POIs एवं OCIs** शामिल थे।

समिति द्वारा उजागर प्रवासी समुदाय के मुद्दे तथा की गई सिफारिशें:

क्षेत्र	मुद्दे	सिफारिशें
PIO कार्ड को OCI कार्ड में परिवर्तित करना	OCI कार्ड योजना के अंतर्गत प्रतिक्रिया धीमी रही है तथा जारी किए गए **OCI कार्ड्स की संख्या भी बहुत कम** है।	सोशल मीडिया और प्रवासी संगठनों के माध्यम से प्रयास तेज किए जाने चाहिए, ताकि सभी PIO कार्ड्स को OCI कार्ड्स में बदलने का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाए।
अनिवासी भारतीयों (NRI) को मताधिकार	मौजूदा मानदंडों के अनुसार, मतदाता सूची में पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को **वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना** पड़ता है।	अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार के संबंध में **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS)** पर विचार किया जा सकता है।
विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण	पिछले 3 वर्षों में केवल **8 भारतीय कैदियों को विदेशों से भारत** लाया गया है।	कैदियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए **कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाया** जाना चाहिए।
उत्प्रवास विधेयक की स्थिति	अवैध उत्प्रवास से संबंधित भयावह स्थिति के बावजूद उत्प्रवास विधेयक को **अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में देरी** हो रही है।	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करने और ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2024 को पारित करने के लिए **व्यापक विधायी सुधार को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।
प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए योजनाओं/ कार्यक्रमों पर कार्य समूह	2021 के बाद से इसकी **कोई बैठक नहीं** हुई है।	अलग-अलग योजनाओं/ कार्यक्रमों/ प्रयासों के उद्देश्यों, कार्यों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए **कार्य समूह की अर्धवार्षिक बैठक सुनिश्चित** की जानी चाहिए।

चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और भारत को 'ड्रैगन-एलीफैंट टैंगो' में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए

चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन को **"प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य"** बताया। गौरतलब है कि दोनों देश अपने **द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ** मना रहे हैं।

भारत-चीन संबंधों में प्रमुख मुद्दे

- **अस्पष्ट सीमा:** दोनों देशों के बीच **स्पष्ट आपसी समझौते के अभाव में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर तनाव** की स्थिति है। इस वजह से कई बार सैन्य झड़पें भी होती रहती हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** भारत को चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से रणनीतिक खतरा** महसूस होता है। ज्ञातव्य है कि CPEC **कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र** से होकर गुजरता है।
- **आर्थिक असंतुलन:** भारत चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है। इस वजह से वित्त वर्ष 2024 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा **85.1 अरब डॉलर** तक पहुंच गया था।
- **चीन का पाकिस्तान को समर्थन:** चीन द्वारा **पाकिस्तान को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहायता प्रदान** करना भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है।

आगे की राह

- बॉर्डर-पर्सनल मीटिंग्स, **परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC)** जैसे राजनयिक उपायों के जरिए **सीमा विवादों का शीघ्र समाधान** करना चाहिए।
- संतुलित व्यापार और निवेश अवसरों के साथ आर्थिक **अंतर-निर्भरता को मजबूत** करने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों को **परस्पर सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के लिस्तरीय सूत्र** के आधार पर **संबंधों के पुनर्निर्माण** हेतु एक **"सतत आधार"** की आवश्यकता है।

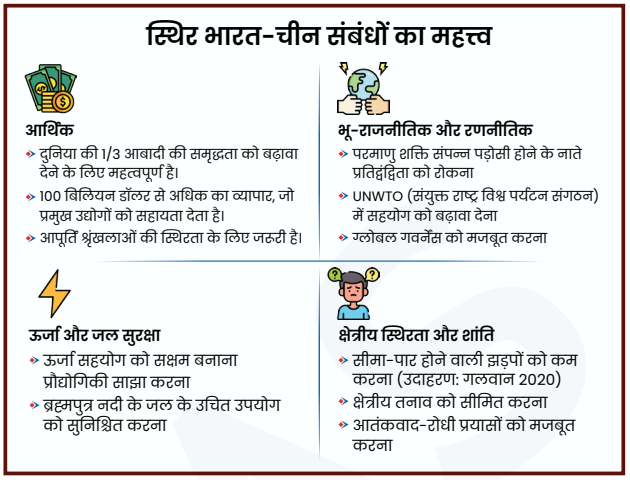

अन्य सुर्ख़ियां

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

प्रधान मंत्री ने गुजरात की एक फायर फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों के लिए **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अनुग्रह सहायता राशि देने** की घोषणा की।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के बारे में

- **स्थापना:** 1948 में पूर्व **प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू** ने इस कोष की स्थापना की थी।
  - इसे **पाकिस्तान से विस्थापित** होकर भारत में आए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **वर्तमान में उपयोग:**
  - इस कोष से मुख्य रूप से **बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिवारों** को तुरंत राहत सहायता प्रदान की जाती है।
  - इस कोष से जरूरतमंद लोगों की **हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर रोग के उपचार, और एसिड अटैक के पीड़ितों के चिकित्सा खर्च का आंशिक रूप से वहन** किया जाता है।
- **वित्त-पोषण का स्रोत:** यह कोष पूरी तरह से आम लोगों के योगदान पर निर्भर है। इस फंड के लिए **कोई भी बजटीय आवंटन नहीं** किया जाता है।
- **कर छूट:** PMNRF में दिए गए प्रत्येक योगदान को **आयकर अधिनियम की धारा 80(G) के तहत कर-छूट** दी जाती है।

ताइवान जलसन्धि

चीन ने ताइवान जलसन्धि के मध्य और दक्षिणी भागों में **"स्ट्रेट थंडर-2025A"** नामक नए सैन्य अभ्यास शुरू किए।

- **जलसन्धि** एक संकरा जल क्षेत्र होता है, जो **दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता** है।

ताइवान जलसन्धि (या ब्लैक डिच) के बारे में

- 16वीं शताब्दी के अंत में **पुर्तगाली** नाविकों द्वारा इसका नाम **फॉर्मोसा** (**"ब्यूटीफुल"**) रखा गया था।
- **अवस्थिति:** यह चीन के **फुकियन प्रांत और ताइवान** के बीच स्थित है।
- यह जलसन्धि **दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर** के बीच **दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व** तक विस्तारित है।
- **महत्त्व:** यह एक प्रमुख **वैश्विक पोत परिवहन मार्ग** है। यहां से **विश्व के 44% कंटेनर जहाज** गुजरते हैं।
- **मीडियन लाइन या डेविस लाइन:** यह लाइन **ताइवान जलसन्धि के लगभग बीच** से होकर गुजरती है। चीन इसे **नहीं** मानता है।

समर्थ उद्योग भारत 4.0 (समर्थ केंद्र)

हाल ही में, भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री ने **4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ/ SAMARTH)** केंद्रों के बारे में संसद को सूचना दी।

- इन्हें **"भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने"** की योजना के तहत स्थापित किया गया है।

समर्थ केंद्रों के बारे में

- **समर्थ उद्योग भारत 4.0** भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की एक **उद्योग 4.0 पहल** है।
  - **उद्योग 4.0 की विशेषता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और रोबोटिक्स जैसी **डिजिटल तकनीकों का एकीकरण** है। इसका उद्देश्य **उद्योगों में दक्षता, लचीलापन और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना** है।
- समर्थ केंद्र विभिन्न उद्योगों (खासकर MSMEs) को **कार्यशालाओं, परामर्श और स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन समर्थन आदि के जरिए कार्यबल को प्रशिक्षित** करने तथा उन्हें उद्योग 4.0 तकनीकों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान करते हैं।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

भारत में वित्त **वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 4,515 बच्चों को गोद** लिया गया था। इसमें CARA ने 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को गोद लेने की प्रकिया में शामिल किया है।

CARA के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1990 में।
- **प्रकृति:** यह **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत एक **वैधानिक निकाय** है।
- **मंत्रालय: महिला और बाल विकास मंत्रालय।**
- **प्रमुख कार्य:** यह भारत में बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया के लिए **नोडल निकाय** है। CARA **बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)** के माध्यम से देश में और अंतर-देशीय गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी एवं विनियमन करता है।
  - **अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993** के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के प्रबंधन के लिए CARA **केंद्रीय प्राधिकरण** के रूप में नामित है। भारत ने **हेग कन्वेंशन का अनुसमर्थन 2003** में किया था।

नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल

हाल ही में **केंद्रीय वित्त मंत्री** ने "नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम" पोर्टल लॉन्च किया।

- इस पोर्टल को **नीति आयोग** ने **नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)** के सहयोग से तैयार किया है।

नए पोर्टल के बारे में

- **विशाल डेटा भंडार:** यह **सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय मानकों** से संबंधित डेटा का बड़ा भंडार है। इनमें **शोध रिपोर्ट, शोध-पत्र और राज्य वित्त पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां** शामिल हैं। इस पोर्टल पर **30 वर्षों (1990-91 से 2022-23) का डेटा** उपलब्ध होगा।
- **उद्देश्य:** यह पोर्टल राज्यों को राजस्व बढ़ाने, ऋण का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सीखने जैसी **लोक-वित्त नीतियों पर डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता** करेगा।

ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) के जरिए बैंकों में 80,000 करोड़ रुपये की तरलता बढ़ाने** की घोषणा की।

ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) के बारे में

- **परिभाषा:** यह RBI द्वारा खुले बाजार में **सरकारी बॉण्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया** है।
- **उद्देश्य:** यह RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले **मात्रात्मक उपायों (Quantitative tools)** में से एक है। इस कदम के उद्देश्य हैं- **मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति प्रबंधन करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित** करना।
  - जब RBI **सरकारी बॉण्ड खरीदता है, तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।**
  - जब RBI सरकारी बॉण्ड बेचता है, तब **अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति घटती है।**

भारत-चिली द्विपक्षीय वार्ता

चिली के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान भारत के **प्रधान मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता** में भाग लिया।

द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अंटार्कटिका में सहयोग पर आशय पत्र:** भारत के अंटार्कटिका तक पहुंचने में **चिली गेटवे के रूप में कार्य** करेगा।
- **भारत-चिली सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम:** चिली ने **4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस** मनाने की घोषणा की है।
- **आपदा प्रबंधन:** चिली के **नेशनल सर्विस फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स (SENAPRED) और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **खनन:** चिली की **नेशनल कॉपर कॉरपोरेशन (CODELCO) और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड** के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान-प्रदान पर समझौता हुआ है।
- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** दोनों देश CEPA पर वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए।

केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल

राज्य सभा ने **'विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025'** (The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025) पारित किया।

- इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को **केपटाउन कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट) और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल** के अनुरूप करना है।

केपटाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में

- **उद्देश्य:** चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाली परिसंपत्तियों (जैसे-विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर) से संबंधित लेन-देन को मानकीकृत करना, ताकि **डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू कर सकें।**
- **स्वीकृति:** इन्हें **2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ़ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT)** द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया था।
- **पक्षकार: 2016 तक 65 देश** इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। **भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर** किए थे।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

मलेशिया (राजधानी: कुआलालंपुर)

मलेशिया के सेंट्रल **सेलंगोर राज्य के पुतरा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने** से कई लोग घायल हो गए।

भौगोलिक अवस्थिति:

- **अवस्थिति:** यह **भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिण-पूर्व एशिया** में अवस्थित है।
  - **दक्षिण चीन सागर** मलेशिया को दो भागों में विभाजित करता है:
    - **प्रायद्वीपीय मलेशिया** (पश्चिम मलेशिया) और
    - **पूर्वी मलेशिया** (बोर्नियो द्वीप पर स्थित)।
- **भूमि सीमावर्ती देश:** थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई।
- **समुद्री सीमावर्ती देश:** सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम।
- **आसपास के जल निकाय:** मलक्का जलडमरूमध्य, सेलेब सागर और दक्षिण चीन सागर।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **सबसे ऊँची चोटी:** माउंट किनाबालु।
- **महत्वपूर्ण नदियां:** राजंग, किनाबटांगन, पहांग आदि।